

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: cef.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no..0294-2418137

क्रमांक एफ 5 ()मुवस/वसु/2021-22/ 1138
निमित्त,

दिनांक :- 17/2/2022

उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़।

विषय:- Permission for laying Underground Optical Fiber Cable in Forest area along PWD road from Vijaipur to Rooppura from Lat/Long 24.791558/ 75.718341 to 24.765172/ 75.740787 for total length of 4.063 KM and total area 0.1828 ha. roads in Chittorgarh District, Rajasthan. proposal No.FP/RJ/OFC/144983/2021)

प्रसंग:- आपका पत्रांक 371 दिनांक 18.01.2022 के क्रम में।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र से **OFC** केबल 0.1828 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आपकी अनुशंसा के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किया गया, जिसका परीक्षण किये जाने पर प्रकरण में निम्न कमियाँ पाई गई।

- 1- प्रकरण के पार्ट-आ के बिन्दु संख्या-5 Working plan prescription for the forest land proposed for diversion में यह पता नहीं चल पा रहा है कि डायवर्जन की जाने वाली भूमि किस वर्किंग सर्किल में आती है। स्पष्ट उल्लेख करें।
- 2-पार्ट-आ में Additionl information Detail का प्रस्ताव के साथ संलग्न एवं ऑनलाईन अपलोड किया गया Total CA Scheme के Propoal संख्या गलत है। सही प्रस्ताव संख्या लिखें एवं ऑनलाईन/ऑफलाईन कॉपी में संशोधन करें।
- 3- पार्ट -आ के बिन्दु संख्या 13(i) में सी.ए. स्कीम की डिटेल् एवं KML अपलोड करें।
- 4-प्रकरण के पार्ट-आ के बिन्दु संख्या-13(ii) में CA Scheme upload की जानी थी जो कि नहीं की गई है। संबंधित सी.ए. स्कीम अपलोड करें।
- 5- प्रकरण के पार्ट-आ के बिन्दु संख्या-13(v) में NOC की copy upload करनी थी जबकि आप द्वारा टोपो शीट मैप अपलोड किया गया है। संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।
- 6- पार्ट -आ में Additionl information Detail के क्र.स. 5 पर क्षेत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट अपलोड की गई , इसे हटाकर वांछित दस्तावेज अपलोड करें।

अतः प्रस्ताव मूल ही तीन प्रतियों में लौटाये जाकर लेख है कि उक्तानुसार लगाये गए आक्षेपों की बिन्दुवार पूर्ति कर पुनः इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें, साथ ही यह भी ध्यान रखा जावे कि कोई भी प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने से पूर्व आप स्वयं पार्ट-आ एवं पार्ट-आ का भलीभांति अवलोकन करने के उपरान्त ही आगामी कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में किसी भी प्रकार का विलम्ब ना हो।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार। (मूल प्रस्ताव तीन प्रतियों में।)

भवदीय,


(आर.के.सिंह)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर।

ok